न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 66 / 2020

दायर दिनांक–15–06–2020

महाबीर प्रसाद पुत्र लूणा जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू राज0

––– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल
2. पप्पुराम पुत्र ग्यारसीलाल
3. मुकेश पुत्र ग्यारसीलाल
4. मनेश पुत्र ग्यारसीलाल
5. लालचन्द पुत्र ग्यारसीलाल
6. पिंकी पुत्री ग्यारसीलाल
7. मंजु पुत्री ग्यारसीलाल
8. सुमन पुत्री ग्यारसीलाल
9. केशरी देवी पत्नी ग्यारसीलाल
10. बल्ला पुत्र महाबीर प्रसाद
11. नौरंग पुत्र नानग
12. भागीरथ पुत्र भगवाना
13. महाबीर पुत्र भगवाना
14. बनवारी पुत्र भगवाना
15. बजरंग पुत्र भगवाना
16. कौशल्या पुत्री झाबर
17. चूकी पुत्री झाबर
18. मनोहरी पुत्री झाबर
19. मोहनलाल पुत्र झाबर
20. राजेश कुमार पुत्र झाबर
21. संजयराम पुत्र झाबर
22. हरीराम पुत्र झाबर
23. श्योकोरी पत्नी झाबर
24. रामेश्वर पुत्र नानगा
25. श्रीचन्द पुत्र किशना
26. शीशराम पुत्र किशना
27. सुगना देवी पत्नी किशना

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

28. बालु पुत्र नानगा
29. ताराचन्द पुत्र मदनलाल
30. लक्ष्मण पुत्र गणपत
31. कालू पुत्र गणपत
32. रामनिवास पुत्र प्रभात
33. विनोद पुत्र प्रभात
34. महीपाल पुत्र प्रभात
35. सुरेश पुत्र प्रभात
36. गीतादेवी पत्नी प्रभात
37. संतोष पुत्री प्रभात
38. सुमित्रा पुत्री प्रभात
39. सरोज पुत्री प्रभात

समस्त जाति कुमावत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू राज0

40. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नवलगढ़

———— प्रतिवादीगण

वकील वादी : — श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति॰ नं॰ :— एकपक्षीय

दावा : <u>बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0</u>

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनांक— 17.08.2021

वादी द्वारा वाद—पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 1.20 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 39 के सह खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3327, 3328, 3330, 3331 व 3332 थे तथा पैमाइश से पूर्व के खसरा नम्बर 2429 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2430 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2431 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2432 रकबा 4 बि[illegible] नम्बर 24, 34 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा थे। उपरोक्त वर्णित वाद ग्रस्त भूमि पूर्व में 1/2 हिस्सा लूना पुत्र [illegible] था व 1/2 हिसस नानगा, मादया, गणपत, मेघा, ईशर पुत्रान् झुथा का था। गंगा व झुंथा दोनो [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद ग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत [illegible] का हिस्सा गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। पैमाइश से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयों में लूना पुत्र गंगा, नानगा, मादया, गणपत, मेघा, ईशर पुत्र झुंथा कौम कुम्हार दर्ज था। इसके पश्चात पैमाइश में भी रिकॉर्ड में अलग — अलग व्यक्तियों का हिस्सा दर्ज नही किया

ए. सी. एम. (न्या.) नवलगढ़

गया। सेगरीरोशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंदाजन ही हिस्से दर्ज कर दिए जो गलत दर्ज किये है। गलत रूप से दर्ज रिकॉर्ड को दुरूस्त किए जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 है, प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 3 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 4 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 6 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 7 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 8 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 9 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 10 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी नम्बर 11 का हिस्सा 1/60, प्रतिवादी नम्बर 12 का हिस्सा 1/240, प्रतिवादी नम्बर 13 का हिस्सा 1/240, प्रतिवादी नम्बर 14 का हिस्सा 1/240, प्रतिवादी नम्बर 15 का हिस्सा 1/240, प्रतिवादी नम्बर 16 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 17 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 18 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 19 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 20 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 21 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 22 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 23 का हिस्सा 1/480, प्रतिवादी नम्बर 24 का हिस्सा 1/60, प्रतिवादी नम्बर 25 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 26 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 27 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 28 का हिस्सा 1/60, प्रतिवादी नम्बर 29 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी नम्बर 30 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी नम्बर 31 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी नम्बर 32 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 33 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नमबर 34 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 35 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 36 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 37 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 38 का हिस्सा 1/180, प्रतिवादी नम्बर 39 का हिस्सा 1/180 है। इसी अनुसार हक अधिकार है। इसी अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती किए जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

उपरोक्त रिकॉर्ड की दुरूस्ती हेतु वादी/प्रार्थी ने तहसीलदार नवलगढ़ को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा पटवारी हल्का से जांच करवाई गई तथा पुराने रिकॉर्ड की जांच कर निष्कर्ष में उपरोक्त वर्णित अनुसार ही हक अधिकार होना पाया था। खातेदारी रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं घोषणा हेतु क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है इसलिए उक्त वाद सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद हेतु वाद कारण वादी को अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की नकल दिनांक 04.10.2019 को प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकॉर्ड का पता चलने के पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दावा पेश करने का निर्देश देने के रोज माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ। उपरोक्त वाद सुनने का श्रीमान जी को पूर्ण क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष को वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जाने के आदेश किए जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को तद्नुसार हिस्से सही दर्ज करने हेतु लिखा जावें। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के पक्ष में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन [illegible] तलब प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 40 की तलबी प्रर्याप्त रूप से हो [illegible] प्रतिवादीगणों की ओर से नियत पेशी बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त कोई भी [illegible] स्वरूप इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्य[illegible] होने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु यानि तनकीयात कायम किया आवश्यक नही होने पर सीधे ही शहादत ली गई। शहादत वादी में गवाह रामनिवास, बालू, ओमप्रकाश, बल्ला, बजरंग, कालू उपस्थित न्यायालय हो मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

शामिल पत्रावली किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शहादत वादी पेश नही करना जाहिर किया गया। शहादत वादी बंद की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–2 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2025–2028, प्रदर्श–3 ग्राम परसरामपुरा का मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श– 4 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2052–2056, प्रदर्श–5 ग्राम परसरामपुरा का मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 2053 आदि पेश किये गये।

शहादत होने पर बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 39 के सह खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3327, 3328, 3330, 3331 व 3332 थे तथा पैमाइश से पूर्व के खसरा नम्बर 2429 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2430 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2431 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2432 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 24, 34 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा थे। उपरोक्त वर्णित वाद ग्रस्त भूमि पूर्व में 1/2 हिस्सा लूना पुत्र गंगा का था व 1/2 हिस्सा नानगा, माद्या, गणपत, मेघा, ईशर पुत्रान् झुथा का था। गंगा व झुंथा दोनो सगे भाई थे। वाद ग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 39 का हिस्सा गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। पैमाइश से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयों में लूना पुत्र गंगा, नानगा, माद्या, गणपत, मेघा, ईशर पुत्र झुंथा कौम कुम्हार दर्ज था। इसके पश्चात पैमाइश में भी रिकॉर्ड में अलग–अलग व्यक्तियों का हिस्सा दर्ज नही हुआ है। पत्रावली में प्रदर्श–1 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2021–2024, प्रदर्श–2 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2025–2028, प्रदर्श–3 ग्राम परसरामपुरा का मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श– 4 ग्राम परसरामपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2052–2056, प्रदर्श–5 ग्राम परसरामपुरा का मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 2053 आदि से प्रमाणित होता है कि पूर्व में रिकार्ड गलत चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि का हिस्से भी सही दर्ज नही है। जो सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। उपरोक्त दस्तावेजात एंव वंशावली अनुसार वादी का हिस्सा 1/2 प्रमाणित है। अतः वादी को अपने रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम परसरामपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादीगणों को वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 66 / 2020 **(महाबीर प्रसाद बनाम ओमप्रकाश आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **17.08.2021** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम परसरामपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2665 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 2666 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2667 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.23 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 1.20 हैक्टर ग्राम परसरामपुरा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादीगणों को वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.08.2021 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:36:27 IST
Reason: SelfAttested